



कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई. रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023

फोन नं - 0788-2350125, ई-मेल : Bhilai-Nagar-Nigam@cg.gov.in

क./एफ-166/स्टे.आयु./2025/3811

भिलाई, दिनांक 28/4/25

// आदेश //

छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 सड़कों में बाधा का प्रतिबंध (1) कोई भी व्यक्ति इस निमित्त प्रदान की गई आयुक्त की लिखित अनुज्ञा के बिना तथा ऐसी शर्तों के अनुसरण में के सिवाय जिसके अंतर्गत भाड़े या शुल्क के भुगतान भी हैं, जैसी कि वह इस निमित्त या तो सामान्यतः या विशेषतः अधिरोपित करे उक्त धारा के अंतर्गत सड़कों में बाधा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही या नियमानुसार जुर्माना लगाये जाने हेतु श्री जावेद अली, प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क./एफ-166/स्टे.आयु./2025/3812

भिलाई, दिनांक 28/4/25

प्रतिलिपि :-

1. महापौर/सभापति महोदय, नगर पालिक निगम भिलाई को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य अभियंता, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
3. अधीक्षण अभियंता I/II, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
5. जोन आयुक्त, जोन-1,2,3,4 एवं 5 नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
6. कार्यपालन अभियंता,(सर्व) नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
7. श्री जावेद अली, प्र. स्वास्थ्य अधिकारी, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ व पालनार्थ।
8. अधीक्षक स्थापना, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई